ग्राम पंचायत चामीया, ब्लॉक धर्मपुर, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1 प्रारम्भिक :–

(**क**) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5)सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत चामीया ब्लॉक धर्मपुर, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के अवधि 1/ 4/2014 से 31/ 3/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे –

प्रधान:-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री भारत सिंह	01.04.2014 से 20.01.2016
2	श्रीमति लीला सिंह	21.01.2016 से 31.03.2017

सचिव:-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री श्याम दत्त	01.04.2014 से 31.03.2017

(**ख**) **गम्भीर अनियमितताओं का सारः –**

ग्राम पंचायत के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का सार	पैरा सं0	राशि लाखों
1	गृह कर के रूप मे पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष होना	6	0.03
2	मोबाइल टावर की फीस के रूप मे पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष होना	7	0.66
3	बिना बिल के केवल चालान पर ही सीमेंट की खरीद का अनियमित भुगतान	10	1.82
4	नियमों की अनुपालना न कर के क्रय करने बारे	11	1.12
5	गणना मे गलती के कारण अधिक भुगतान तथा बिना contractor profit को घटाए अनियमित अधिक भुगतान (MNREGA)	14	0.08

2 वर्तमान अंकेक्षण: –

ग्राम पंचायत चामीया, ब्लॉक धर्मपुर, जिला सोलन के अवधि 1/ 4/2014 से 31/3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण श्री अनिल कुमार शर्मा , अनुभाग अधिकारी व श्री राजीव कुमार , कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30.08.17, 01.09.2017 व 04.09.2017 से 06.09.2017 तक पंचायत के कार्यालय मे किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03/2015	07/2014
2015-16	03/2016	11/2015
2016-17	01/2017	03/2017

अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति का प्रारूपण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है । स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है , की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है । प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की जांच के पश्चात अंकेक्षण के परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं ।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत चामीया, ब्लॉक धर्मपुर, जिला सोलन के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹*6600* बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 30 दिनांक 5/9/2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण शुल्क की राशि हि. प्र. जोगिंद्रा सेंट्रल को –ओपेराटिव बैंक लिमिटेड धर्मपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 06.09.2017 दिनांक 100936 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति: –

Financial Position of Grants received under General Cash Book for the year 01-04-2014 to 31-03-2017

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPTS	TOTAL (a)	PAYMENTS (b)	CLOSING BALANCE (a-b)
2014-15	731304.69	520939.00	1252243.69	545025.00	707218.69
2015-16	707218.69	904960.00	1612178.69	554647.00	1057531.69
2016-17	1057531.69	1341225	2398756.69	994871.08	1403885.61

Financial position for the year April, 2014 to March, 2017 in respect of MNREGA

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPTS	TOTAL (a)	PAYMENTS (b)	CLOSING BALANCE (a-b)
2014-15	0	20203	20203	20203	0
2015-16	0	1105	1105	1105	0

2016-17	0	495490	495490	495490	0

Financial position for the year April, 2014 to March, 2017 in respect of watershed /iwmp

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPTS	TOTAL (a)	PAYMENTS (b)	CLOSING BALANCE (a-b)
2014-15	146852	5932	152784	0	152784
2015-16	152784	6171	158955	0	158955
2016-17	158955	6221	165176	16032	149144

Overall Consolidated financial position for the year April, 2014 to March, 2017 (including MGNREGA)

EAR	OPENING BALANCE	RECEIPTS	TOTAL (a)	PAYMENTS (b)	CLOSING BALANCE (a-b)
2014-15	878156.69	547074	1425230.69	565228	860002.69
2015-16	860002.69	912236	1772238.69	555752	1216486.69
2016-17	1216486.69	1842936	3059422.69	1506393.08	1553029.61

Sr. No.	Title of cash book	Bank name	Bank account no.	Opening as on 01.04.2014	Closing balance 31.03.2017
1	General Cash Book/IAY/RAY	JCCB	100734029000031	383878.26	1147609.26
		JCCB	100734029000359	208863	255701
		OBC	022320113888	28	0
		OBC	02232011003949	138119	0
2	Cash in hand			416.43	575.35
3	Total			731304.69	1403885.61
4	IWMP/ watershed	JCCB	100734001005655	14415	0
5	IWMP/ watershed	JCCB	100734001003942	132437	149144
6	Total (4+5)			146852	149144
7	Grand Total			878156.69	1553029.61

4.1 रसीदों को क्रमानुसार जारी ना करना तथा दोबारा रोकड़ बही मे दर्ज करनाः

रोकड़ बही मे चयनित मासों मे प्राप्ति की जांच मे पाया गया कि रसीद संख्या 292992 ₹60 व 292993 ₹60 कुल ₹120 को रोकड़ बही मे पृष्ठ संख्या 54 व 5 पर दो बार दर्ज कर दिया गया तथा दो बार ही गणना मे लेकर बैंक मे जमा कर दिया गया। इसके

अतिरिक्त निम्न विवरनानुसार रसीदों को क्रमवार जारी नहीं किया गया था। रसीद संख्या 292409 दिनांक 11.3.2016 को जारी की गई थी जबकि रसीद संख्या 292405 दिनांक 13.4.2016 को जारी की गई थी जो कि संशय पैदा करता है कि रसीदों का क्रमवार जारी ना करना एक गंभीर अनियमितता है जिस बारे विस्तृत जांच की जानी आपेक्षित है तथा वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

रसीद संख्या	दिनांक	राशि
292403	28.03.2016	4200
292404	13.04.2016	50
292405	13.04.2016	60
292406	23.02.2015	4420
292407	15.03.2016	50
292408	15.03.2016	49
292409	11.03.2016	149176

5 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में मुश्किल आई साथ ही आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए

6 गृह कर के रूप मे पंचायत राजस्व का ₹3495 वसूली हेतु शेष होना –:

आय की जाच के दौरान और पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व की गृह कर के रूप मे ₹3495 की वसूली शेष थी।

वर्ष	परिवार	गृह कर की दर	राशि	देय राशि	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
04/2014 से पहले						7080
2014-15	250	60	15000	22080	20370	1710
2015-16	251	60	15060	16770	15955	815
2016-17	251	60	15060	15875	12380	3495

अतः उक्त राजस्व की वसूली करने हेतु उचित कदम उठाए जाएँ तथा वसूली के उपरांत आगामी अंकेक्षण के दौरान वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाये।

7 मोबाइल टावर की फीस के रूप मे पंचायत राजस्व का लगभग ₹0.65 लाख वसूली हेतु शेष होना:

आय की जाच के दौरान और पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत क्षेत्र मे पाँच मोबाइल टावर लगे हुये हैं लेकिन इनसे नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। निम्न विवरणानुसार वर्ष 2016-17 तक पंचायत के राजस्व की मोबाइल टावर की फीस के रूप मे ₹65500 की वसूली शेष थी।

क्रम संख्या	वर्ष	मोबाइल टावर कंपनी का नाम	टावर स्थापित वर्ष	वर्ष हेतु देय राशि	कुल देय राशि	प्राप्त राशि	शेष राशि
1	2014-15 से पहले का शेष	रिलायंस	2006				16000
	2014-15			2000	18000	0	18000
	2015-16			2000	20000	0	20000
	2016-17			2000	22000	0	22000
2	2014-15 से पहले का शेष	एयरसेल	2006				16000
	2014-15			2000	18000	0	18000
	2015-16			2000	20000	0	20000
	2016-17			2000	22000	0	22000
3	2014-15 से पहले का शेष	एयरटेल	2004				13500
	2014-15			2500	16000	10500	5500
	2015-16			2500	8000	-	8000
	2016-17			2500	10500	2500	8000
4	2014-15 से पहले का शेष	बीएसएनएल	2006				16000
	2014-15			2000	18000	10000	8000
	2015-16			2000	10000	-	10000

	2016-17			2000	12000	-	12000
5	2014-15 से पहले का शेष	आइडिया	2008				11500
	2014-15			2500	14000	12500	1500
	2015-16			2500	4000	2500	1500
	2016-17			2500	4000	2500	1500

उक्त ₹65500 की वसूली न करने का औचित्य सपष्ट किया जाये तथा उक्त विवरण अनुसार वसूली करके पंचायत निधि मे जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य मे भी नियमित रूप से शुल्क वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 निवेश के सन्दर्भ में टिप्पणियांः–

8.1 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 निवेश रजिस्टर का निर्माण करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

9 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का

अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 बिना बिल के केवल चालान पर ही₹181819 के सीमेंट की खरीद का अनियमित भुगतान-

कार्यालय खरीद के सामान्य नियमो के अनुसार किसी भी खरीद पर बिल लेना जरूरी होता है व अंतिम भुगतान बिल पर ही किया जाता है। पंचायत मे सीमेंट की खरीद जो कि हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम से की गई है उसका कोई भी बिल अंकेक्षण अवधि मे प्राप्त नहीं किया गया, केवल delivery challans पर ही राशि का भुगतान कर दिया गया, जो कि अनियमित है। विवरण परिशिष्ठ "क"पर दिया गया है। delivery challans पर बिना बिल के भुगतान करने से original बिल पर भी भुगतान की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता तथा किसी भी खरीद का दोहरा भुगतान किया जा सकता है। अतः सभी बिलों को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी प्रमाणित किया जाये कि किसी अन्य शीर्ष से बिलों का भुगतान नहीं किया गया है।

11 नियमों की अनुपालना न कर के ₹111524 का क्रय करने बारे-:

चयनित माह के वाऊचरों की जांच में पाया कि निम्नलिखित क्रय में पंचायत के कर्मचारियों द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित नियम 67 (5) (ख) जिसके के अनुसार ₹1000 से अधिक एवं ₹50000 से कम के क्रय के लिए कम से कम तीन फ़र्मों से निविदायें आमंत्रित करना अनिवार्य है , की अनुपालना नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप अंकेक्षण के दौरान यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वास्तव में खरीद न्यूनतम मूल्यों पर की गई है। विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
1	41 दिनांक 26.07.14	Bill no. 104 dated 10.06.2014 of M/s Dev Raj	Sand 200cft @ 50 Cut stone 2000 cft @ 12	34000.00
2	67 दिनांक 24.11.15	Bill no. 647 dated 01.10.2015 of M/s Brothers Goods Carrier	Cut stone 1600 cft @ 15	24000.00
3	68 दिनांक 24.11.15	Bill no. 652 dated 01.10.2015 of M/s Brothers Goods Carrier	Sand 160cft @ 45 Aggregate 100@45 Cut stone 2000 cft @ 15	41700.00
4	96 दिनांक 30.03.17 (14^{th} FC)	Bill no. 1183 dated 17.01.2017 of M/s Durga Steel Fabricators	Steel items	5912.00

5	96 दिनांक 30.03.17 (14th FC)	Bill no. 1185 dated 20.01.2017 of M/s Durga Steel Fabricators	Steel items	5912.00
			योग	**111524**

उक्त क्रय में निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने से पंचायत निधि का अनियमित भुगतान किया गया है। नियमों का पालन न करने से अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा यह भी प्रमाणित करवाया जाये कि खरीद न्यूनतम बाज़ार दर पर की गई है। अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

12 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव न किया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर को आरम्भ ही नहीं किया गया है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

13 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था या उचित तरीके से नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
3	विभिन्न अनुदानों के योजनावार लैजर खाते	7	29(1)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 गणना मे गलती के कारण र 8449 का अधिक भुगतान तथा बिना contractor profit को घटाए अनियमित अधिक भुगतान)MNREGA):

अंकेक्षण मे चयनित मास 3/2017 मे जांच के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका मे कार्य के मूल्यांकन के दौरान हुयी गलती के कारण र 8449/- का अधिक भुगतान कर दिया गया है। अधिक भुगतान का विवरण"परिशिष्ट ख" पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1/2017 से पहले उक्त contractor profit को घटाया ही नहीं जा रहा था। जिससे हजारों रुपये का संभावित अधिक भुगतान कर दिया गया है। उक्त अधिक भुगतान का औचित्य सपष्ट करें अन्यथा चयनित मासों के अतिरिक्त अन्य मासों मे अपने स्तर पर जांच करके उक्त राशि व अतिरिक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(4)36/2017 खण्ड–1–511–514 दिनांक17.01.2018
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला सोलन हि0प्र0

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत चामियां, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला सोलन (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881